

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी अजमेर
अजमेर।

Court

10/6/23

विषय राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती करवाने बाबत।

माहोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम भांवती पटवार मण्डल भांवती भू अगिलेख निरीक्षक क्षेत्र सरायना तहसील अजमेर की जमाबंदी सवत 357 खाता सं. 357 में बन्ना लाल पुत्र पांचू व बाहू लाल पुत्र पांचू जाति रेबारी अकन है। जब कि जमाबंदी सवत राजिस्दी के खाता सं. 2012004716 दि. 24/9/12 में बन्ना लाल, बाहू लाल पुत्रगण पालू जाति रेबारी

अकन दर्ज था। उक्त अकन कागान जमाबंदी में बिना किसी अत्वार के गलत अकन हो गया। अतः जमाबंदी में पूर्व जमाबंदी सं राजिस्दी के अनुसार दुरुस्ती करने की कृपा कराये।

दिनांक: 10/6/23

सालन :

बाबूलाल
प्राप्ती

पता: भांवती

मोन 8769139418

जांच रिपोर्ट हल्का पटवारी/भू अगिलेख निरीक्षक/तहसीलदार

उपरोक्त प्रार्थना पत्र की जांच की गई कि बन्ना लाल पुत्र पांचू व बाहू लाल पुत्र पांचू जाति रेबारी

अकन दर्ज है जो गलत है। अतः उक्त अकन के स्थान पर नवीन अकन

बन्ना लाल पुत्र पालू, बाबूलाल पुत्र पालू
पांचू के पुत्र पालू उर्फ पालू दुरुस्त करने की अनुराधा की जाती है।

10/6/23
हस्ताक्षर पटवारी

[Signature]
हस्ताक्षर भू अगिलेख निरीक्षक

[Signature]
हस्ताक्षर तहसीलदार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अजमेर
महंगाई राहत कॅम्प
प्रशासन गाँवों के संग अभियान-2023

क्रमांक: उखअ/राजस्व/शिविर/21/117

दिनांक: 10/6/23

रिपोर्ट व अनुराधा पटवारी हल्का भांवती भू अगिलेख निरीक्षक क्षेत्र सरायना व तहसीलदार अजमेर के अत्वार पर ग्राम भांवती पटवार मण्डल भांवती भू अगिलेख क्षेत्र सरायना तहसील अजमेर की जमाबंदी के खाता सं. 357 खसरा नम्बर पर नवीन अकन राजस्थान भू कायतकारी अधिनियम 1958 की धारा 88 के अन्तर्गत दुरुस्त करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार अजमेर को निर्देशित किया जाता है कि आदेश की पालना करने से पूर्व रिकार्ड का गिलान/जांच एच गा न्यायालय में याद विचारधीन एच रसगण आदेश की पूर्ण जानकारी करने के पश्चात ही रिकार्ड में अगल दरामद कराये।

(बन्ना लाल पुत्र पालू उर्फ पालू
बाबूलाल पुत्र पांचू उर्फ पालू)

[Signature]
उपखण्ड अधिकारी अजमेर

उपखण्ड अधिकारी एवं
शिविर प्रभारी
महंगाई राहत कॅम्प
प्रशासन गाँवों के संग अभियान-2023

भीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय
अजमेर।

Correct
10/6/23

विषय राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती करवाने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम रायचन्द पटवार गण्डल सहीयाना गू अगिलेख निरीक्षक क्षेत्र सहीयाना ताहसील अजमेर की जगाबदी रायत 26371 (गो.ख.सं. 1417, 1339, 648, 141, 409, 1264, 143, 624, 619, 133) रायचन्द पुत्र नानू के लिये रायचन्द पुत्र नानू के लिये अकन है। जब कि जमाबंदी सन् 1955 के खाता नं. 1339, 1417 में रायचन्द पुत्र नानू के लिये अकन दर्ज था। उक्त अकन वर्तमान जगाबदी में बिना किसी अहवार के गलत अकन हो गया। अतः जगाबदी में पूर्व जमाबदी से रायचन्द पुत्र नानू के लिये के अनुसार दुरुस्ती करने की कृपा कराये।

दिनांक: 10/06/23

सालन :

10/6/23
सहायक प्रशासक
महंगाई राहत केम्प
प्रशासन गाँवों के संग अभियान-2023
मौन 7303491444

जाच रिपोर्ट हल्का पटवारी/गू अगिलेख निरीक्षक/ताहसीलदार

उपरोक्त प्रार्थना पत्र की जाच की गई कि

मुलाविके रायचन्द के 8755 1384, मुलाविके रायचन्द के 1339, 1417 में रायचन्द पुत्र नानू के लिये अकन दर्ज है जो गलत है। अतः उक्त अकन के स्थान पर नवीन अकन

दुरुस्त करने की अनुराधा की जाती है।

10-6-23
हस्ताक्षर पटवारी
U.M. (14/11)

हस्ताक्षर गू अगिलेख निरीक्षक

ताहसीलदार, अजमेर

कार्यालय ताहसीलदार (गू.अ.) अजमेर

क्रमांक/गू.अ./2023/654 दिनांक 10-6-23

क्रमांक:उखअ/राजस्व/शिविर/21/19

महंगाई राहत केम्प
प्रशासन गाँवों के संग अभियान-2023

दिनांक: 10/6/23

रिपोर्ट व अनुराधा पटवारी हल्का रायचन्द गू अगिलेख निरीक्षक क्षेत्र सहीयाना ताहसीलदार अजमेर के अहवार पर ग्राम सहीयाना पटवार गण्डल सहीयाना गू अगिलेख क्षेत्र सहीयाना ताहसील अजमेर की जगाबदी के खाता नं. 1339, 1417 में रायचन्द पुत्र नानू के लिये अकन दर्ज है जो गलत है। अतः उक्त अकन के स्थान पर नवीन अकन राजस्थान गू कायदाकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के अन्तर्गत दुरुस्त करने के आदेश दिए जाते हैं। ताहसीलदार अजमेर को निर्दिष्ट किया जाता है कि आदेश की पालना करने से पूर्व रिकार्ड का गिलान/जाच एव ग। न्यायालय में दाद विधायकी एव रयगम आदेश की पूर्ण कार्रवाई करने के पश्चात ही रिकार्ड में अगल दरागद कराये।
रायचन्द पुत्र नानू के लिये के स्थान पर रायचन्द पुत्र नानू

10/6/23
उपखण्ड अधिकारी अजमेर

उपखण्ड अधिकारी एवं
शिविर प्रभारी
महंगाई राहत केम्प
प्रशासन गाँवों के संग अभियान-2023

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय
अजमेर।

o.w

विषय राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती करवाने का।

10/6/23

महोदय,

उपरोक्त विषयान्वयित निवेदन है कि ग्राम हरावली पटवार मण्डल हरावली भू अभिलेख
निरीक्षक क्षेत्र पिरावली तहसील अजमेर की जमावदी राजत खका सं 605 न काल 54
काना 431 है जो गलत है।

अंकन है। जब कि जमावदी सखा अन्य पत्रांकन
संसात से जुगराज उर्फ काल 431 है। न इतना सखला प्रमा. सखात में 605 में
जुगराज उर्फ काल 54 काना 431 जाति-जात के अन्तर्गत कृपा से

अंकन दर्ज था। उक्त अंकन वर्तमान जमावदी में दिनां 10/6/23 अकार के गलत अंकन हो गया। किंतु
जमावदी में पूर्व जमावदी सं के अनुसार दुरुस्ती करने की कृपा कराये।

दिनांक:

10/6/23

राज्य:

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) अजमेर

पता: 21 राधना


क्रमांक/भू.अ./2023/651 दिनांक 10/6/23


मोन 9667766924


जान रिपोर्ट हल्का पटवारी/भू अभिलेख निरीक्षक/तहसीलदार

उपरोक्त प्रार्थना पत्र की जांच की गई कि: मुनाकित उपखण्ड के BN 556539, मुनाकित
जान केन्नामत हरावली प्रमाण पत्र, अकार हिल जगा के सखा 605 में
काल 54 काना के सखात पर जुगराज उर्फ काल 54 काना जाति
जात किया जाना उचित होगा। अंकन दर्ज है जो गलत है। अतः उक्त अंकन के स्थान पर नवीन अंकन

दुरुस्ती करने की अनुशासना की जाती है।


हस्ताक्षर पटवारी हरावली


हस्ताक्षर भू अभिलेख निरीक्षक
10/6/23


हस्ताक्षर तहसीलदार
अजमेर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अजमेर
महगाई राहत कैम्प

क्रमांक: राजस्व/राजस्व/शिविर/21/

प्रशासन गाँवों के संग अभियान-2023

दिनांक: 10/6/23

118
10/6/23

-- आदेश --

रिपोर्ट व अनुशासना पटवारी हल्का सराधना भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सराधना व तहसीलदार
अजमेर के अकार पर ग्राम सराधना पटवार मण्डल सराधना भू अभिलेख क्षेत्र सराधना तहसील
अजमेर की जमावदी के सखा सं 605 खारा नम्बर 1454 पर नवीन अंकन राजस्थान
भू.कार्यकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के अन्तर्गत दुरुस्ती करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार अजमेर को निर्देशित किया
जाता है कि आदेश की पालना करने से पूर्व रिकार्ड का गिलान/जांच एच मा न्यायालय में साद विचाररहीन एवं स्थगन आदेश की पूर्ण
जानकारी करने के पश्चात् ही रिकार्ड में अंकन दर्शाए करवाये।

जुगराज उर्फ काल 54 काना 431


उपखण्ड अधिकारी अजमेर

उपखण्ड अधिकारी एवं
शिविर प्रभारी
महगाई राहत कैम्प
प्रशासन गाँवों के संग अभियान-2023